

पत्रांक-7/मु0-01-18/2021 अंश.....2708

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

प्रेषक,

कुमार निशांत विवेक,
निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

सेवा में,

सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी,
सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना),
बिहार।

विषय:-

पटना, दिनांक 17/09/2021

अप्रशिक्षित नियोजित शिक्षकों के संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा SLP (Civil) Diary No(S).-66035/2025, बिहार सरकार एवं अन्य बनाम मनोज कुमार एवं अन्य में दिनांक-15.01.2026 को पारित न्यायादेश का बिहार मुकदमा नीति, 2011 की कंडिका-4 (c) के अनुसार सभी समरूप नियोजित शिक्षकों के मामलों का अनुश्रवण एवं निष्पादन किए जाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक कहना है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर सी०डब्लू०जे०सी० सं०-7938/2020, मनोज कुमार एवं अन्य में दिनांक-01.02.2021 को न्यायादेश पारित किया गया, जिसका कार्यकारी अंश निम्नवत् है:-

"...The respondents are directed to ensure that the petitioners are paid pay scale/grade pay which they are entitled to from the date of completion of training i.e. May, 2017. The arrears of salary shall be calculated accordingly and paid to them within a period of three months from the date of receipt/production of a copy of this order..."

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आदेश कि विरुद्ध विभाग द्वारा LPA No.-456/2021, बिहार राज्य एवं अन्य बनाम मनोज कुमार एवं अन्य दायर किया गया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक-03.04.2025 को न्यायादेश पारित किया गया जिसका कार्यकारी अंश निम्नवत् है :-

"...In this backdrop, appellants cannot take decision of notional benefits when the order is very specific to the extent that necessary decision in this regard with all consequential monetary benefit must be taken by the Director. The same decision has been passed in number of cases including the present case. The appellants has taken their own time to publish the result with reference completion of training course in the month of May, 2017. For no fault on the part of the respondents, denial of certain service and monetary benefit on behalf of the appelants would be arbitrary, therefore, the appellants have not made out a case so as to interfere with the impugned order of the learned Single dated 01.02.2021 passed in CWJC No 7938 of 2020..."

उपरोक्त पारित आदेश के विरुद्ध विभाग द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में SLP (Civil) Diary No(S).-66035/2025 दायर किया गया। उपरोक्त वाद में माननीय सर्वोच्च

न्यायालय द्वारा दिनांक-15.01.2026 को न्यायादेश पारित कर माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा LPA No.-456/2021 में दिनांक-03.04.2025 को पारित न्यायादेश को यथावत् रखते हुए उक्त SLP को खारिज कर दिया गया, जिसका कार्यकारी अंश निम्नवत् है :-

"...Despite vehement submissions made by the learned counsel appearing for the petitioners, we are not inclined to interfere with the impugned order passed by the High Court.

3. Accordingly, the Special Leave Petition is dismissed."

वस्तुस्थिति यह है कि अप्रशिक्षित नियोजित शिक्षकों का सेवाकालीन प्रशिक्षण की सुविधा विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया था। निदेशक, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, पटना के पत्रांक 323 दिनांक 06.03.2020 द्वारा यह अवगत कराया गया है कि शैक्षणिक सत्र 2013-15 के साथ-साथ शैक्षणिक सत्र 2016-18 एवं 2017-18 के अप्रशिक्षित शिक्षकों को डी0एल0एड0 की प्रशिक्षण पूर्णता की तिथि 31.03.2019 है।

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा याचिका संख्या 7938/2020 में दिनांक 01.02.2021 को पारित आदेश में दिए गए न्यायादेश के अनुपालन में विभागीय आदेश ज्ञापांक 1687 दिनांक 21.05.2026 द्वारा याचिकाकर्त्ताओं के संदर्भ में यह निर्णय लिया गया कि यदि याचिकाकर्त्ता स्थानीय निकाय शिक्षक अंतर्गत उनकी नियुक्ति तिथि 31.03.2015 के पूर्व की है तथा उन्होंने प्रथम प्रयास में प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण किया है एवं टी0ई0टी0 उत्तीर्ण है तो उन्हें प्रशिक्षणचर्या पूर्णता की तिथि से प्रशिक्षित शिक्षक के वेतनमान का वित्तीय लाभ देते हुए अंतर वेतन का भुगतान करने का निदेश दिया गया है। माननीय न्यायालय द्वारा यह भी आदेश दिया गया है कि "समान स्थिति वाले कर्मियों के संबंध में उक्त न्यायालयीय आदेश को पूर्ण रूप से लागू किए जाने का निदेश संसूचित है।"

उक्त मामले से संबंधित कतिपय याचिकाएं माननीय उच्च न्यायालय में दायर किए जा रहे हैं और माननीय न्यायालय द्वारा उक्त वाद का निष्पादन याचिका संख्या 7938/2020 में दिनांक 01.02.2021 को पारित आदेश के आलोक में निष्पादित किया जा रहा है जिसका अनुपालन किया जाना अनिवार्य रूप से अपेक्षित है। अतएव उक्त मामले से संबंधित एक सामान्य दिशा-निर्देश निर्गत किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

यहाँ यह भी अंकनीय है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील संख्या-1385/2025, अंजुमन इशात-ए-तालीम संगठन बनाम् महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य में दिनांक 01.09.2025 को पारित न्यायादेश के आलोक में सभी शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा (टी0ई0टी0) में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।



इस क्रम में आप सभी को निदेश दिया जाता है कि उक्त मामले के समरूप यदि कोई स्थानीय निकाय के अप्रशिक्षित शिक्षक जिनकी नियुक्ति दिनांक 31.03.2015 के पूर्व हुई हो तथा उन्होंने राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, पटना द्वारा आयोजित शैक्षणिक सत्र 2013-15, 2016-18 एवं 2017-18 में प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरान्त प्रथम प्रयास में प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण किया है एवं टी0ई0टी0 उत्तीर्ण है तो उन्हें प्रशिक्षणचर्या पूर्णता की तिथि से प्रशिक्षित शिक्षक के वेतनमान का वित्तीय लाभ देते हुए अंतर वेतन का भुगतान करने की कार्रवाई करेंगे।

उक्त आदेश के सापेक्ष माननीय न्यायालय द्वारा अन्य समरूप मामले में पारित आदेश का अनुपालन ससमय पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन

(कुमार निशांत विवेक)

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

ज्ञापांक-03/मु.01-18/2021अ/ 2708

पटना, दिनांक-17/09/2026

प्रतिलिपि-सभी क्षेत्रीय शिक्ष उप निदेशक, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(कुमार निशांत विवेक)

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।